# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री ऊंकार बनाम विपक्षी : श्री भेरा

किस्म मुकदमा – धारा 114 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 07/21

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | |
|---|---|---|

दिनांक : 12.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी गण विपक्षी संख्या 1/1 से 1/7, 2/1, 3 से 14 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1/1 से 1/7, 2/1, 3 से 14 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में विपक्षीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. व प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अतः न्यायहित में देरी की अवधि को कण्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संशोधित शिर्षक पेश किया गया। शामिल फाईल रहें। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 13 द्वारा माननीय न्यायालय में विपक्षी संख्या 14, 15 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) रा.का. अधि. के तहत पेश किया गया जिसके वाद संख्या 71/2013 हैं जो माननीय न्यायालय में दिनांक 27.07.2015 को काउन्टर कलेम के जवाब एवं प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. के जवाब हेतु नियत था। उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी पेश किया गया जिसके प्रकरण संख्या 176/13 हैं। यह कि दिनांक 25.06.2015 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 कैम्प कोर्ट सालेडा में उक्त प्रकरण में कुछ विपक्षीगण ने विपक्षी संख्या 14 के साथ मिल कर गलत तरीके से उक्त वाद को विड्रो करा दिया। जिससे पुर्व में जारी स्थगन आदेश भी खारिज करा दिया जिससे प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हो गये। यह कि उक्त प्रकरण में 18 वादीगण हैं और मात्र 7 वादीगणों की उपस्थिति में यह वाद विड्रो नहीं हो सकता हैं। दिनांक 25.06.2015 को इस प्रकरण में 11 वादीगण अनुपस्थित थे और उन्हें जानकारी ही नहीं थी जिससे प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.06.2015 के आदेश को निरस्त कर प्रकरण संख्या 71/2013 रे.वाद व प्रकरण संख्या 176/2013 प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल आदेशिका दिनांक 25.06.2015 से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक 25.06.2015 को सभी वादीगण उपस्थित नहीं थे। वादी संख्या 1 के वारिसान व वादी संख्या 3, 4, 10 से 13 ही उपस्थित थे जिससे विधि अनुसार वाद विड्रो नहीं किया जा सकता। रेवेन्यु वाद 71/13 में 18 वादीगण हैं मात्र कुछ वादीगण द्वारा उपस्थिति होकर वाद विड्रो का निवेदन किये जाने से विधि अनुसार वाद विड्रो नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

### —: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा रेवेन्यु वाद 71/2013 अनवान भेरा बनाम लुगा की आदेशिका दिनांक 25.06.2015 को अपास्त किया जाता हैं तथा रेवेन्यु वाद 71/13 एवं प्रार्थना पत्र 176/13 अनवान भेरा बनाम लुगा को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:51:19 IST
Reason: SelfAttested